न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः– 16 / 2023

तारीख दायर–20.06.2023

तारीख– निर्णय– 28.11.2025

1. श्रीमती ककुडी पत्नी स्व. मोतीया मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री खेतीया पिता स्व.मोतीया मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्री पारसमल पिता स्व. मोतीया मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्री लक्ष्मण पिता स्व. मोतीया मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमती बाबरी पुत्री स्व.मोतीया मीणा पत्नी भगवतीलाल मीणा निवासी ओवरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्रीमती लाली पुत्री स्व. मोतीया मीणा पत्नी आनन्द जी निवासी ओवरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
7. श्रीमती लोगरी पुत्री स्व.मोतीया मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
8. श्रीमती शान्ति पुत्री स्व.मोतीया मीणा पत्नी गोतम मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
9. श्री रामा पिता कालीया मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
10. श्री नाना पिता धुला मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
11. श्री भुरा पिता धुला मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलूम्बर

........वादीगण

बनाम

1. श्री मिठुलाल पिता भजा मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री पांचीया उर्फ पांचुलाल पिता भजा मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्री कालु पिता भजा मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्री कना पिता जगा मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमती धुलकी पत्नी गला मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्री नन्दलाल पिता गला मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
7. श्री पारस पिता गला मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
8. श्री प्रकाश पिता गला मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
9. श्री लालुराम उर्फ लालीया पिता गला मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
10. श्री लोगरा पिता मेघा मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

11 श्री रामा उर्फ राया पिता मेघा मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

12. श्री गमाना पिता गांगा मीणा मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

13. श्री दंडगा पिता मेघा मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

14. श्री नंगला पिता नाथु मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

15. श्रीमती कालकी पत्नी नाथु मीणा निवासी रेलवडा, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

मृतक श्री मांगीलाल पिता नाथु मीणा के कानून कायम मुकाम वारिश निम्न व्यक्ति है।

16/1 श्रीमती सुगना पत्नी स्व. मांगीलाल मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

16/2 श्री मुकेश पिता स्व. मांगीलाल मीणा नाबालीग संरक्षक जरिये वली माता श्रीमती सुगणा पत्नी स्व.मांगीलाल मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

16/3 सुश्री उन्ना पिता स्व. मांगीलाल मीणा नाबालीग संरक्षक जरिये वली माता श्रीमती सुगणा पत्नी स्व.मांगीलाल मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

16/4 सुश्री प्रियंका पिता स्व. मांगीलाल मीणा नाबालीग संरक्षक जरिये वली माता श्रीमती सुगणा पत्नी स्व.मांगीलाल मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

17 श्री नंगला पिता मेघा मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

18. श्री नाथु पिता मेघा मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

19. श्री गमाना पिता मेघा मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

-: मृतक श्रीमती नवली पुत्री धुलिया मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर का नाम न्यायालय के आदेश से हटाया गया।

-: मृतक श्रीमती राजुडी पुत्री धुला मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर का नाम न्यायालय के आदेश से हटाया गया।

-: मृतक श्रीमती वरदी पुत्री धुलिया मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर का नाम न्यायालय के आदेश से हटाया गया। जिसके वारिस वादी नम्बर 10 व 11 बने हुए है।

-: मृतक श्रीमती एजकी पत्नी कालीया मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर का नाम न्यायालय के आदेश से हटाया गया। जिसके वारिस वादी नम्बर 9 बना हुआ है।

श्रीमती वालकी पुत्री भजा मीणा निवासी धोलिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

मृतक श्री उदा पिता मेघा मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.) की पत्नी प्रतिवादी संख्या 21 जो पक्षकार है।

श्रीमती बाबरी पत्नी उदा मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

श्री रामेश्वर पिता गमाना मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

श्री सतीया पिता गमाना मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

श्री प्रकाश पिता गमाना मीणा निवासी रेलवडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री नरेश कुमार स्वर्णकार
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.कास्त.अधि. ....प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि (अ) मौजा नपानिया पटवार क्षेत्र भरेव तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 43 व पुराना 43 के आराजी नम्बर 190 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 191/1 रकबा 0.9828 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 229 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 273 रकबा 0.5616 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 274 रकबा 0.3132 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 275 रकबा 0.3232 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 276 रकबा 0. 2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 277 रकबा 0.4860 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 278 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 281 रकबा 3.6612 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 284/2 रकबा 1.4256 हैक्टेयर, कुल किता 11 कुल रकबा 8.8188 हैक्टेयर, भूमि व (ब) मौजा रेलवडा पटवार क्षेत्र भरेव तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 46 व पुराना 47 के आराजी नम्बर 224 रकबा 0.6264 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 233 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 240 रकबा 0.4104 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 1.1772 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादीगणो द्वारा प्रतिवादीगणो को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादीगणों को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीगणों एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादीगणों का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणो द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगणों का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगणों बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादीगणों की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादीगणों एवं प्रतिवादीगणों वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादीगण वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार

पर विभाजन चाहते है। जिसमे प्रतिवादीगणों को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगणों का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगणों का वाद सावित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। (अ) मौजा नपानिया पटवार क्षेत्र भरेव तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 43 व पुराना 43 के आराजी नम्बर 190 रकवा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 191/1 रकबा 0.9828 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 229 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 273 रकबा 0.5616 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 274 रकबा 0.3132 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 275 रकबा 0.3232 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 276 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 277 रकवा 0.4860 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 278 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 281 रकवा 3.6612 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 284/2 रकबा 1.4256 हैक्टेयर, कुल किता 11 कुल रकबा 8.8188 हैक्टेयर, भूमि व (ब) मौजा रेलवडा पटवार क्षेत्र भरेव तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 46 व पुराना 47 के आराजी नम्बर 224 रकबा 0.6264 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 233 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 240 रकबा 0.4104 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 1.1772 हैक्टेयर भूमि की पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर किया जाता है PD पालना हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 .को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार बलाई RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)